न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 34 / 2021 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती मंजू पत्नी मांगीलाल जी पामेचा (जैन), निवासी 165, फ्लोरा कॉम्पलेक्स, उदय टॉवर के पास, भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. शोभालाल पिता भेरा जी डांगी, निवासी पुला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर
2. तुलसीराम पिता भेरा जी डांगी, निवासी पुला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर
3. श्रीमती लोगरी पुत्री भेरा जी डांगी, निवासी पुला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर
4. राकेश पिता फतहलाल डांगी, निवासी पुला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर
5. दिलीप पिता फतहलाल डांगी, निवासी पुला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर
6. उदय पिता फतहलाल डांगी, निवासी पुला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर
7. ओंकारलाल पिता नारायण डांगी, निवासी पुला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर
8. तुलसीराम पिता नारायण डांगी, निवासी पुला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बडगांव प्रकरण संख्या 204 / 2019 दिनांक 22.02.2021

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री भीमराज पटेल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 23–01–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम देवाली में आराजी नंबर 2383 रकबा 0.2700 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 2 / 9 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी में अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा वादिया ने अपने हिस्से के चारो तरफ बाउण्ड्री बना रखी है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:27 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17–12–2019 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 22–02–2021 करे अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–04–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके साथ नये व पुराने नक्शा ट्रेस प्रस्तुत कर उन्हें न्यायिक निर्णय के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

हमने उक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात पर मनन किया। प्रस्तुत नक्शा ट्रेस राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह गलत कयास लगाया गया है कि अपीलान्ट का कुछ हिस्सा आराजी संख्या 2382 में स्थित है, जबकि अपीलान्ट अपने हिस्से पर काबिज होकर चारो ओर बाउण्ड्रीवाल बना रखी है तथा इसे दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित कराया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस अनुसार अपीलान्ट आराजी नंबर 2383 पर ही काबिज है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण पुनः नये सिरे से निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:27 IST
Reason: SelfAttested

उपलब्ध पर्चा मौका व गूगल मैप से स्पष्ट है कि अपीलान्ट/वादी के मकान का कुछ भाग स्वयं की खातेदारी की आराजी नंबर 2383 रकबा 0.0250 हैक्टर पर बना है तथा शेष 0.0350 हैक्टर पड़ोस की आराजी नंबर 2382 पर बना है, जो नगर विकास प्रन्सास के नाम दर्ज है। विवादित आराजी नंबर 2383 रकबा 0.2700 हैक्टर में अपीलान्ट का 2/9 हिस्सा अर्थात 0.0600 हैक्टर बनता है तथा अपीलान्ट का 0.0600 हैक्टर भूमि पर मकान बना हुआ है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट एवं गूगल मैप के आधार पर जो निर्णय पारित किया है, वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस सम्बन्ध में जो नये पुराने नक्शे वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, उनके अवलोकन से भी अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि नहीं होती है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–07–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:27 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती मंजू पत्नी मांगीलाल जी पामेचा, (जैन), निवासी 165 फ्लोरा कॉम्पलेक्स, उदय टॉवर के पास, भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर

बनाम

शोभालाल पिता भेरा जी डांगी, निवासी पुला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर

अपील नं.....**34 / 2021....**.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी** .....**बड़गांव**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....22**.....माह.....**02**.....**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**...माह.....**01**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री भीमराज पटेल**..... मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–02–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**01**.....**2023** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट		रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा 3. इजराय हुक्मनामा . 4. वकील फीस बाबत ...				1. स्टाम्प वकालत नामा 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान				मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:27 IST
Reason: SelfAttested